रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1992/ज्येष्ठ 8, 1914
No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1992/JYAISTHA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का.आ. 385(अ)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये 1 जून, 1992 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 29क का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 29ग के उपनियम (3) में, "ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत में निवासी है, धारा 197क की उपधारा (1क) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कम्पनी या फर्म नहीं है) धारा 197क की उपधारा (1क) के अधीन";

(ग) परिशिष्ट II में,—

(i) प्रपत्र संख्या 15क का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रपत्र संख्या 15ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा अर्थात् :—

"फ्रूप सं. 15ग

[नियम 29ग (3) देखिए]

कर की कटौती किए बिना ("प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज की प्राप्ति का दावा करने वाले किसी व्यक्ति (जो कम्पनी या फर्म नहीं है)" द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 197क (1क) के अधीन की जाने वाली घोषणा

मैं/हम‡.....जो.....का/की पुत्र की पुत्री/पत्नी हूं, और.....का/की निवासी हूं/हैं, घोषणा करता हूँ/करती हूं/करते हैं कि —

1. वे राशियां, जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, †मेरे/हमारे नाम में हैं और फायदाप्रद रूप से †मेरे/हमारे स्वामित्व में हैं और ऐसी राशियों की बाबत ब्याज, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 तक के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है :

व्यक्ति का नाम और पता जिसे ब्याज पर दी गई है	ऐसी राशियों की रकम	वह तारीख जिसको ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई हैं	वह अवधि जिसके लिए ऐसी ब्याज पर दी गई है	ब्याज की दर

2. मेरी/हमारी† से वर्तमान उपजीविका .....है;

3. निर्धारण वर्ष 19.....19.....से सुसंगत .....को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार संगणित मेरी/हमारी प्राक्कलित कुल आय, जिसके अन्तर्गत पैरा 1 में निर्दिष्ट "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज है, कर के लिए शून्य होगी ;

4. इसके पूर्व किसी भी समय आय-कर के लिए †मेरा/हमारा-1 निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु †मैं/हम आय-कर मुख्य आयुक्त या आयुक्त .....की अधिकारिता में हूं/ हैं; निर्धारण वर्ष 19.....19..... के लिए आय-कर का मेरा/हमारा गत निर्धारण अधिकारी.....सर्किल /वार्ड/जिला द्वारा किया गया था और मुझे/हमें आवंटित किया गया स्थायी लेखा संख्यांक..... है।

†††घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

†मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि पैरा 1 से 4 तक की अन्तर्वस्तुएं मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आज तारीख .....को सत्यापित किया गया।

घोषणा कर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. डाक का पूरा पता लिखें।
2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए।
3. जो लागू न हो उसे काट दीजिए।
4. ‡डिविजन को उपदर्शित कीजिए जहां घोषणा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम आदि की ओर से दी जाती है।
5. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणाकर्ता को स्वयं अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है
6. घोषणा में मिथ्या कथन करने वाले व्यक्ति पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन चलाया जा सकेगा और सिद्धदोष होने पर वह—

(i) उस मामले में जहां कर की वह रकम जिसका, यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग के लिए जिसको घोषणा दी जाती है)

1. उस व्यक्ति का नाम और पता, जो घोषणा के पैरा 1 में वर्णित राशियों पर ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।

2. वह तारीख जिसकी घोषणा घोषणाकर्ता द्वारा दी गई थी।

3. वह अवधि जिसके लिए ब्याज जमा किया जाता है/संदत्त किया जाता है।

4. ब्याज की रकम

5. वह दर जिस पर ब्याज जमा किया जाता है/संदत्त किया जाता है।

आय-कर मुख्य आयुक्त या आयुक्त .... को अग्रेषित की गई।

स्थान ....

तारीख ....

....

"प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

[सं. 9036/फा.सं. 142/14/92-टी.पी.एल. (भाग)]

आई.के. शर्मा, अवर सचिव (टी.पी.एल.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Baord of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1992

S.O. 385(E)—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twelfth Amendment) Rulse, 1992.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 1992.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) rule 29 A shall be omitted;

(b) in rule 29C, in sub-rule 3, for the words, brackets and figures, "under sub-section (1) of section 197A by an individual, being resident in India", the following shall be substituted, namely:—

"under sub-section (1A) of section 197A by a person (not being a company or a firm)";

(c) in Appendix II,—

(i) FORM NO. 15A shall be omitted;

(ii) for the FORM NO. 15H, the following form shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 15H

[See rule 29C(3)]

Declaration under section 197A(1A) of the Income-tax Act, 1961 to be made by a person (not being a co company or a firm) claiming receipt of interest other than "interest on securities" without deduction of tax

I/We*————,*son/daughter/wife of————resident of————@do hereby declare—

1. that the sums, particulars of which are given below, stand in *my/our name and beneficially beilong to *me/us, and the interest in respect of such sums is not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-tax Act, 1961:

Name and address of the person to whom the sums are given on interest	Amount of such sums	Date on which such sums were given on interest	Period for which such svms were given on interest	Rate of interest

2. that *my/our present occuation is————————;

3. that the tax on my/our estimated total income including the interest other than "interest on securities' referred to in paragraph 1 computed in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, for the previous year ending on———————relevant to the assessment year 19———19——will be nil ;

4. *that *I/we have not been assessed to income-tax at any time in the past but *I/we fall within the jurisdiction of the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax————that *I was/we were last assessed to income-tax for the assessment year 19 ——19———by the Assessing Officer————Circle/Ward/District and the permanent account number allotted to me/us is ————————.

——————————

**Signature of the declarant

VERIFICATION

*I/we ————hereby declare that the contents of paragraphs 1 to 4 are true to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Verified today, the ————day of————19————.

——————————

Signature of the declarant

Notes:

1. Give complete postal address.

2. The declaration should be furnished in duplicate.

3. *Delete whichever is not applicable.

4. **Indicate the capacity where the declaration is furnished on behalf of a Hindu Undivided Family, Association of persons, etc.

5. Before signing the verification, the declarant should satisfy himelf that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects.

6. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to be prosecuted under section 277 of the Income-tax Act, 1961, and on conviction be punishable—

(i) in a case where the amount of tax, which would have been evaded if the statement or account had been accepted as true, exceeds one hundred thousand rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

[FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED]

1. Name and address of the person responsible for paying interest on sums mentioned in paragraph 1 of the declaration.

2. Date on which the declaration was furnished by the declarant.

3. Period for which interest is credited/paid.

4. Amount of interest.

5. Rate on which interest is credited/paid.

Forwarded to the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax,————————

Place————————

Date————————

Signature of the person responsible for paying interest other than "Interest on securities"

[No. 9036/F.No. 142/14/92-TPL. (Pt.]

Y.K. BATRA, Under Secy. (TPL-III]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992